न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 67/2018

उनवान :

अशोक कुमार पुत्र सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. सार्दुल पुत्र कनीराम जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. प्रेमकला पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सुदेश पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. शिवप्रकाश पुत्र सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
6. एसबीबीजे (एसबीआई डाबडी) जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा : वादी

निर्णय दिनांक : 18-03-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 273/252 के खसरा सं0 224 की 7.890 है0 खसरा सं0 399 की 5.627 है0 खसरा सं0 405 की 0.050 है0खसरा सं0 409 की 1.859 है0 खसरा सं0 411 की 6.828 है0 कुल 22.254 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सार्दुल के नाम से 16.692 है0 में 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादभूमि पहले वादी के दादा कनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। कनीराम का करीब 65 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका था। जिसके उपरान्त उक्त भूमि प्रतिवादी सार्दुल के नाम से विरासतन प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में सार्दुल के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है।

वाद भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का पारिवारिक सैटलमेंट हो चुका है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी एवं प्रतिवादी शि[illegible] के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया था जिसके [illegible] सार्दुल के नाम से खातेदारी दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादी शिवप्रकाश का बहिस्सा बराबर के अनुसार प्र[illegible] गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड में आज भी कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सार्दुल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 6 व 7 को वकील वादी ने तर्क किया।

साक्ष्य वादी में वादी अशोक कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये तथा फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम डाबडी सम्वत् 2004, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल पेश किये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने हस्तगत वाद रोही मौजा डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये हैं तथा फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल पेश किये है। इसके अलावा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 त 5 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है जिसमें उन्होने वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग देना स्वीकार किया है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में सार्दुल के वारिसान में पत्नि चन्द्रदेवी, दो पुत्र अशोक व शिवप्रकाश एवं तीन पुत्रियां प्रेमकला, सिलोचना व सुधेश मौजूद होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी [illegible] खसरा सं0 224 की 7.890 है0 खसरा सं0 399 की 5.627 है0 खसरा सं0 40[illegible] की 0.[illegible] है0खसरा सं0 409 की 1.859 है0 खसरा सं0 411 की 6.828 है0 कुल 22.254 [illegible] खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सार्दुल के नाम से 16.692 है0 में 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सार्दुल का नाम कलमजन किया जाकर वादी अशोककुमार व प्रतिवादी सं0 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

शिवप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी अशोककुमार व प्रतिवादी सं0 5 शिवप्रकाश के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-03-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
(मुकेश भारद्वाज)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 67/2018

अनवान :

अशोक कुमार पुत्र सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. सार्दुल पुत्र कनीराम जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. प्रेमकला पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. सिलोचना पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
4. सुदेश पुत्री सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
5. शिवप्रकाश पुत्र सार्दुल जाति खाती निवासी डाबडी तहसील भादरा।
6. एसबीबीजे (एसबीआई डाबडी) जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 273/252 के खसरा सं0 224 की 7.890 है0 खसरा सं0 399 की 5.627 है0 खसरा सं0 405 की 0.050 है0खसरा सं0 409 की 1.859 है0 खसरा सं0 411 की 6.828 है0 कुल 22.254 हैं0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सार्दुल के नाम से 16.692 है0 में 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सार्दुल का नाम कलमजन किया जाकर वादी अशोककुमार व प्रतिवादी सं0 5 शिवप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी अशोककुमार व प्रतिवादी सं0 5 शिवप्रकाश के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर. रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-03-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner